

प्रेषक,
महानिदेशक
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,
समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: 11फ/2477

लखनऊ, दिनांक 05 मई, 2015

विषय:- अवमाननाबाद रिट पिटीशन संख्या-820/02 राजेश कुमार श्रीवास्तव बनाम ए०पी० सिंह व अन्य में समय-समय पर जारी मा० उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में झोलाछाप चिकित्सकों के विरुद्ध कार्यवाही/ पंजीकरण/ नवीनीकरण के संबंध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया महानिदेशालय के पत्र संख्या-11फ/शिवि०/ 2007-08/523, दिनांक 20.04.2007 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि प्रश्नगत रिट पिटीशन में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुपालन में आप द्वारा निजी चिकित्सकों/नासिंग होम/ डायग्नोस्टिक सेन्टरों/पैथालोजी व अन्य का पंजीकरण तथा नवीनीकरण का कार्य किया जा रहा है।

उपरोक्त के साथ ही मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 10.08.2010 (छायाप्रति संलग्न) में दिये गये निर्देशानुसार निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाय-
1. नवीनी पंजीकरण पूर्ववत् स्वीकृत प्रक्रिया के आधीन होंगे, जिसमें आवेदक चिकित्सक जो नया व्यवसाय प्रारम्भ कर रहा है, मूल प्रमाण-पत्र फोटोयुक्त आवेदन पत्र तथा प्रमाणित छायाप्रतियां आदि सहित मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में स्वयं भौतिक रूप से पंजीकरण के लिए उपस्थित होगा।

मा० उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जनपद में पंजीकरण की प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक पूर्ण कर ली जाय। इस हेतु प्रत्येक जनपद में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा माह अप्रैल से पूर्व कम से कम दो बार स्थानीय प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित कर दिया जाय।

मा० उच्च न्यायालय के आदेशानुसार यदि किसी चिकित्सक के अधिष्ठान में समय, सुविधाओं अथवा मानव संसाधन के संबंध में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है, तो पूर्व पंजीकरण के समय दिये गये विवरण में भिन्न है, की सूचना तत्काल मुख्य चिकित्साधिकारी को 30 दिन के अन्दर होनी अनिवार्य होगी, ताकि समस्त अभिलेखों में तदनुसार संशोधन किया जा सके।

प्रत्येक वर्ष 01 मई से अवशेष पंजीकरण के लिए लम्बित चिकित्सा व्यवसाय में लगे व्यक्तियों की सूची तैयार कर जनपद के पुलिस अधीक्षक को छापामारी कार्यवाही करने हेतु प्रेषित की जाय। यदि कोई वैध व्यक्ति/ संस्थान पंजीकरण करा चाहता है, तो मा० न्यायालय के समक्ष विलम्ब का कारण स्पष्ट करते हुए पंजीकरण हेतु अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करें।



3. माहू उच्च न्यायालय के आदेशानुसार चिकित्सकीय स्नातक/ परास्नातक डिग्री प्रदान करने वाले संस्थान/मेडिकल कालेज से सम्बद्ध चिकित्सालयों का पंजीकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर नियमानुसार सम्पूर्ण कार्यवाही करते हुए आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र पर प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक अवश्य प्रस्तुत करें।
4. पूर्व में पंजीकृत चिकित्सक जिनके संस्थान/कल्नीनिक आदि में किसी प्रकार का परिवर्तन न हुआ हो, उनके द्वारा अपने पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए मूल आवेदन पत्र (जिस पर प्रथम बार पंजीकरण अंकित किया गया था कि छायाप्रति के साथ) पंजीकृत डाक से एक सेल्फ पते के पंजीकृत लिफाफे के साथ सक्षम अधिकारी को भेजकर भी नवीनीकरण करा सकेंगे। मुख्य चिकित्साधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह इस प्रकार से प्राप्त नवीनीकरण के आवेदन पत्र नवीनीकृत कर, आवेदक का अधिकतम एक सप्ताह में उपलब्ध कराये गये उनके पंजीकृत सेल्फ पते के लिफाफे में डाक द्वारा भेजना सुनिश्चित करेंगे।
5. पंजीकरण का समस्त कार्य निश्चल किया जायेगा तथा पंजीकरण की शेष व्यवस्था माहू उच्च न्यायालय व पूर्व में निर्गत शासनदेशों में निहित निर्देशों के अनुरूप होगी।
6. मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 10.08.2010 के क्रमांक-15 के अनुसार जनपद में प्रत्येक पैथी के चिकित्सक को सम्मिलित करते हुए टीम बनायी जाय, जोकि पूर्व में जिलाधिकारी के अधीन गठित समिति के अधीन होगा तथा समय-समय पर टीम के द्वारा जिले का भ्रमण कर चिह्नित किया जाय। चिकित्सकीय कार्य में लिप्त अपंजीकृत / अनाधिकृत/ अप्रशिक्षित व्यक्तियों के विरुद्ध इण्डिय मेडिकल एकट, 1956, धारा-15(2) एवं आई0पी0सी0 की धारा-419, 420 के अन्तर्गत एफ0आई0आर0 दर्ज करायी जाय।
7. भारत सरकार द्वारा चिकित्सकों/चिकित्सा संस्थानों/चिकित्सालयों आदि का आन-लाईन पंजीकरण हेतु <http://clinicalestablishments.nic.in> /Authenticated Pages/ UserLogin.aspx पर जाकर अपना एकाउण्ट बनाकर अपने जनपद के समस्त चिकित्सकों संस्थानों/ चिकित्सालयों आदि का पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें तथा विशेष विवरण हेतु मैनुअल डाउनलोड करके प्रक्रिया से अवगत हों।

अतः उक्त का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(विजय लक्ष्मी)

महानिदेशक

ग्रंथांक: 11फ/ 2478-81

तद् दिनांक:

प्रतिलिपि:- निम्नलिखि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा, शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा, शिक्षा, उत्तर प्रदेश जवाहर भवन, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।

निदेशक (चिकित्सा, उपच